M.A. II Sem IV
History EC-3 (c)
Socio-Economic History of Modern India

डा॰ भीमराव अम्बेडकर एवं दलित आन्दोलन

दलित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु दल से हुई है, जिसका अर्थ है तोड़ना, हिस्से करना और कुचलना। संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश और मानक हिन्दी शब्दकोश में दलित का अर्थ है, जिसका दलन हुआ हो, दबाया गया हो, कुचला गया हो अथवा जिसे पनपने या बढ़ने नहीं दिया गया हो और ध्वस्त या नष्ट किया हो।

डा॰ भीमराव रामराव अम्बेडकर निम्न जातियों के उत्थान के लिए एक धर्मयोद्धा बनकर उभरे। इनका जन्म महाराष्ट्र के महो नामक स्थान में 14 अप्रैल 1891 को महार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल तथा माता का नाम श्रीमती भीमाबाई था। इनके पूर्वजों के गाँव का नाम अम्बावाद था, इसी कारण इन्होंने अपने नाम के साथ 'अम्बेडकर' उपनाम स्वीकार कर लिया।

इन्होंने शोषित समाज को अपने अस्तित्व तथा सम्मान हेतु ललकारा। इनका मानना था कि व्यक्ति के अधिकार तभी संरक्षित हैं, जबकि उनके पीछे सामाजिक स्वीकृति हो। यदि मौलिक अधिकारों का समुदाय द्वारा विरोध

M.A. II - Sem IV - दलित आंदोलन

होता है तो कोई भी कानून, न्यायालय और संसद उनकी रक्षा नहीं कर सकते। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। वे सामाजिक समानता, मौलिक अधिकार, मानवीय न्याय, समाजवाद और देश की एकता के लिए संघर्षरत रहे। उन्हें भारतीय संविधान का पोषक और जननी कहा जाता है। वे अस्पृश्यता के खिलाफ थे क्योंकि इससे भारतीय समाज की एकता प्रभावित होती थी।

सन् 1920 में उन्होंने "दि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन" की स्थापना की। जुलाई 1924 में बंबई में एक संस्था 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना था।

सन् 1930 ई० में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया तथा अछूतों के लिए अलग मताधिकार मांगा।

उनको लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन (1930-32) में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया।

16 अगस्त 1932 ई० को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमान रैमजे मैकडोनाल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय

का प्रस्ताव किया तो दलित वर्गों के लिए हिन्दुओं से भिन्न मानकर अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान किया गया।

महात्मा गांधी ने इसपर आपत्ति जताते हुए भारत सचिव सर सैमुअल होर को पत्र लिखा लेकिन उन्हें निराशा मिली। अतः 20 सितम्बर 1932 से वे आमरण अनशन पर बैठ गए। अंततः भारतीय नेताओं ने समझौते के आधार पर समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में पूना में बैठक बुलाई गई। इसमें हरिजन नेता डॉ॰ अम्बेडकर, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद एवं एम॰ सी॰ राजा के प्रयत्नों से समझौता हुआ। यह समझौता 'पूना पैक्ट या पूना समझौता' के नाम से विख्यात है। इस समझौता को महात्मा गांधी और डॉ॰ अम्बेडकर ने अपनी स्वीकृति दे दी। दिनांक 26 सितम्बर 1932 को हस्ताक्षर हुए। पूना समझौता के द्वारा हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दी गई और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया।

इतना होकर अम्बेडकर ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का विरोध किया ताकि अंग्रेजी राज्य में दलित वर्ग के हितों की रक्षा हो सके।

— दलित आन्दोलन

अप्रैल 1942 में उन्होंने अनुसूचित जातीय संघ (Scheduled Caste federation) का गठन एक अखिल भारतीय दल के रूप में किया।

वे हिन्दू कोडबिल के प्रबल समर्थक थे। विधि मंत्री की हैसियत से 1948 में संसद में उन्होंने हिन्दू कोडबिल प्रस्तुत किया। इसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि विवाह के लिए जाति निर्धारित मापदंड नहीं है, महिलाओं को संपत्ति के अधिकार एवं उत्तराधिकार अधिकारों की मान्यता दी गई जो महिला सामाजिक प्रगति का द्योतक था।

समाज सुधार आंदोलन, समतामूलक कानून, उदार शिक्षा तथा अन्य अनुकूल परिस्थितियों ने दलित वर्ग में चेतना का आगाज भर दिया। फलतः अपनी स्थिति में सुधार के लिए यत्न करने लगे, कई ऐसे लोग आगे बढ़े जो नेतृत्व कला में सक्षम थे।

जैसे, जस्टिस आन्दोलन के नेता सी० एन० मुदलियार, टी० एम० नैयर, पी० त्यागराज। आत्मसम्मान आन्दोलन के नेता ई० वी० रामास्वामी नायर उर्फ पेरियार। सी० एन० अन्नादुरै, नारायण गुरु, टी० के० माधवन तथा ज्योतिराव फूले इत्यादि ने भी अपना योगदान किया।

अतः संविधान के अनुच्छेदों- 330, 332, 338, 339, 339 और 341 में उनके अधिकारों को संरक्षित किया गया है।

— 00 —